

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

01 मार्च, 2018 ई0

सं0 F-9(10)(ii)RG/UERC/2018/1852--उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उप-धारा (2)(zg) एवं (2)(zp) के साथ पठित धारा 86 की उप-धारा (1)(g) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) विनियम, 2002 (प्रधान विनियम) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्णय

- (1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018 होगा।
- (2) ये विनियम दिनांक 01.04.2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रधान विनियम के विनियम 3(2) में संशोधन :

ए). प्रधान विनियम के विनियम 3(2) में निम्नलिखित पैरा जोड़ा जायेगा।

"रु0 2.00 लाख के समतुल्य या उससे कम धनराशि का शुल्क एनईएफटी के माध्यम से और रु0 2.00 लाख से अधिक धनराशि का शुल्क आरटीजीएस के माध्यम से जमा किया जायेगा। तथापि, इस प्रकार के प्रकरणों में, संबंधित व्यक्ति इन विनियमों के अनुरूप शुल्क जमा किये जाने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र—। के अनुरूप आरटीजीएस/एनईएफटी का विवरण तीन दिन के भीतर प्रेषित करेगा।"

3. प्रधान विनियम की अनुसूची में संशोधन :

ए). प्रधान विनियम के विनियम 3(1), 4(2), 4(5) और विनियम 7 में संदर्भित तथा प्रधान विनियम का भाग निर्मित करने वाली अनुसूची इन विनियमों से संलग्न रूप में प्रतिस्थापित होगी।

अनुसूची
(विनियम (3) देखिये)

क्रम सं०	आवेदन/याचिका की प्रकृति	फीस (रु० में)
1	आयोग के आदेशों/अभिलेखों/दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु आवेदन	रु० 200.00 (रु० दो सौ)/दिन, अधिकतम तीन घंटों के लिये
2	युटिलिटी में निवेश के अनुमोदन हेतु याचिका	प्रस्तावित निवेश का 0.05% जोकि न्यूनतम रु० 15000.00 (रु० पन्द्रह हजार)
3	आयोग के दस्तावेजों/आदेशों की प्रमाणित प्रति की आपूर्ति	रु० 5.00 (रु० पाँच)/पृष्ठ
4	विविध याचिकाएँ जो सम्मिलित नहीं की गईं	
(ए)	यदि अनुज्ञापी/उत्पादक कंपनी द्वारा दायर किया गया है	एफसीए हेतु आवेदन = रु० 1 लाख (रु० एक लाख) प्रति आवेदन अन्य = रु० 20,000 (रु० बीस हजार) प्रति आवेदन
(बी)	यदि अनुज्ञापीधारी या व्यक्ति के अलावा, अन्य किसी के द्वारा दायर की है	उत्तमोक्त अभिगमन प्रकरण = रु० 1 लाख (रु० पचास हजार) प्रति आवेदन अन्य = रु० 5,000.00 (रु० पाँच हजार) प्रति आवेदन
(सी)	यदि किसी व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है	उत्तमोक्त अभिगमन प्रकरण = रु० 50,000.00 (रु० पचास हजार) प्रति आवेदन अन्य = रु० 1,000.00 (रु० एक हजार) प्रति आवेदन
पार्ट बी - विवादों और शिकायतों का निस्तारण		
1	विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अधीन विनिर्दिष्ट विनियमों के अधीन विवादों और मतभेदों का न्याय निर्णयन	
(ए)	किसी अनुज्ञापी या ऊर्जा के परम्परागत स्रोत का उपयोग करने वाली उत्पादक कंपनी द्वारा संदर्भित	रु० 50,000.00 (रु० पचास हजार)
(बी)	ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत का उपयोग करने वाली उत्पादक कंपनी द्वारा संदर्भित	उत्पादन स्टेशन की स्थापित क्षमताः 2MW तक = रु० 10,000.00 (रु० दस हजार) > 2MW से 5MW = रु० 20,000.00 (रु० बीस हजार) > 5MW से 25MW = रु० 50,000.00 (रु० पचास हजार)
(सी)	एक कैप्टिव संयंत्र के स्वामित्व वाले व्यक्ति द्वारा संदर्भित	परम्परागत ऊर्जा संयंत्र = रु० 1,00,000.00 (रु० एक लाख) नवीकरणीय उत्पादक प्लांट = रु० 10,000.00 (रु० दस हजार)
पार्ट सी - लाइसेन्स प्रदान करना		
1	विद्युत के वितरण और खुदरा आपूर्ति लाइसेन्स, पारेषण और ट्रेडिंग प्रदान किये जाने हेतु आवेदन के साथ लगने वाला आवेदन/प्रक्रमण फीस	विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत फीस का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
2	वितरण अनुज्ञापी द्वारा देय वार्षिक लाइसेन्स फीस	अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अवधि में बिल की गई राशि का 0.05% प्रारम्भ में लाइसेन्स प्रदान करते समय देय, तथा लाइसेन्सी की मांन्य अवधि में प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष में वार्षिक रूप से, राशि की संगणना प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार अवधारित किया जायेगा।

क्रम सं०	आवेदन/याचिका की प्रकृति	फीस (रु० में)
3	पारेषण अनुज्ञापी द्वारा देय वार्षिक लाइसेन्स फीस	ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई या पारेषित की गई या किसी अन्य तरीके से हैडल की गई विद्युत की प्रत्येक एक लाख यूनिट या उसके भाग हेतु रु० 500 (रु० पांच सौ पचास) जो प्रारम्भ में लाइसेन्स प्रदान करते समय देय होगी लाइसेन्स की मान्य अवधि में पश्चात्पूर्व वर्षों के लिये राशि का अवधारण प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार संगणित किया जायेगा।
4	ट्रेडिंग अनुज्ञापी द्वारा भुगतान की जाने वाली वार्षिक लाइसेन्स फीस	प्रति वर्ष ट्रेड किये जाने हेतु प्रस्तावित विद्युत की मात्रा पर आधारित वार्षिक फीस: 1. 100 MU तक : रु० 1.00 लाख (रु० एक लाख) 2. 100 से 200 MU तक : रु० 2.00 लाख (रु० दो लाख) 3. 200 MU से अधिक : रु० 5.00 लाख (रु० पाँच लाख)
5	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17 के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन	रु० 5,00,000.00 (रु० पाँच लाख)
6	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 के अधीन लाइसेन्स में संशोधन हेतु आवेदन	
(ए)	लाइसेन्सी द्वारा	रु० 1,00,000.00 (रु० एक लाख)
(बी)	अनुज्ञापी से अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा	रु० 10,000.00 (रु० दस हजार)
7	लाइसेन्स दिये जाने से छूट हेतु आवेदन	आवेदन/याचिका दायर करते समय या अन्य उपयुक्त समय पर प्रत्येक मामले में अलग-अलग विनिर्दिष्ट किये अनुसार फीस
पार्ट डी - टैरिफ निर्धारण		
1	अनुज्ञापी/उत्पादन कंपनी/SLDC की कारोबारी योजना का अनुमोदन	रु० 1,00,000.00 (रु० एक लाख)
2	MYT के अधीन टैरिफ पिटिशन सहीकरण, वार्षिक समीक्षा तथा परम्परागत फ्यूल आधारित उत्पादन इकाई मय 25 MW से अधिक क्षमता के जलविद्युत इकाईयों का वार्षिक टैरिफ निर्धारण, फुटकर आपूर्ति, व्हीलिंग/पारेषण एवं SLDC फीस का अनुमोदन।	
(ए)	वितरण/फुटकर बिक्री	प्रत्येक रु० 1 लाख की एआरआर दावे पर रु० 5 (रु० पाँच)
(बी)	पारेषण एवं व्हीलिंग	एआरआर दावे का 0.05%
(सी)	एसएलडीसी	रु० 5,00,000.00 (रु० पाँच लाख)
(डी)	परम्परागत फ्यूल आधारित उत्पादन इकाई मय 25 MW से अधिक क्षमता के जलविद्युत इकाईयों	स्थापित क्षमता 100 MW तक रु० 10,00,000.00 तथा स्थापित क्षमता के उत्पादन स्टेशन के प्रत्येक अतिरिक्त MW अथवा उसके भाग हेतु रु० 10,000.00

क्रम सं०	आवेदन/याचिका की प्रकृति	फीस (रु० में)
3	उत्पादन दर की अवधारण हेतु आवेदन	
(ए)	नवीकरणीय/गैर परंपरागत उत्पादक स्टेशनों के लिए जिनकी संस्थापित क्षमता	
(i)	2 MW तक	रु० शून्य
(ii)	>2 MW से 5 MW	रु० 5,00,000.00 (रु० पाँच लाख)
(iii)	>5 MW से 25 MW	रु० 5,00,000.00 (रु० पाँच लाख) + रु० 20,000.00 (रु० बीस हजार) प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट अथवा उसके भाग हेतु 5 मेगावाट से अधिक
4	एक वर्ष से अधिक अवधि हेतु ऊर्जा क्रय करार के अनुमोदन के लिये आवेदन	
(ए)	25 MW से अधिक क्षमता वाले परम्परागत ईंधन आधारित संयंत्र जिनमें हायड्रिल संयंत्र भी सम्मिलित हैं	रु० 15,000.00 (रु० पन्द्रह हजार) प्रति MW या उसके भाग हेतु
(बी)	2 MW से अधिक 25 MW तक की संस्थापित क्षमता वाले नवीकरणीय उत्पादक स्रोत/को-जेनरेशन	रु० 10,000.00 (रु० दस हजार) प्रति MW या उसके भाग हेतु (न्यूनतम रु० 50,000.00)
पार्ट ई - समीक्षा		
1	युटीलिटीज में निवेश के अनुमोदन हेतु आदेश की समीक्षा हेतु याचिका/आवेदन	निवेश के अनुमोदन हेतु आवेदन किये जाने के समय 50% फीस का भुगतान।
2	अनुज्ञापियों और उत्पादक कंपनियों के बीच तथा अनुज्ञापियों के बीच विवादों और मतभेदों के न्याय निर्णयन पर आदेश की समीक्षा हेतु आवेदन	मूल आवेदन हेतु भुगतान की गई फीस का 50%
3	वितरण, पारेषण या व्यापार लाइसेन्स प्रदान किये जाने हेतु आवेदन/याचिका पर आदेश की समीक्षा के लिये समीक्षा आवेदन/याचिका के साथ लगने वाली फीस	रु० 1,00,000.00 (रु० एक लाख)
4	उत्पादन शुल्क के अवधारण पर आदेश हेतु समीक्षा याचिका	
(ए)	2 MW से अधिक तथा 25 MW तक क्षमता वाले नवीकरणीय उत्पादक स्रोत/सह-उत्पादन	रु० 50,000.00 (रु० पचास हजार)

क्रम सं०	आवेदन/याचिका की प्रकृति	फीस (रु० में)
5	वितरण और पारेषण अनुज्ञापियों और SLDC द्वारा शुल्क याचिका/25 MW से अधिक क्षमता वाले परम्परागत ईंधन आधारित संयंत्र जिनमें हायडिल संयंत्र भी सम्मिलित है के आवेदन पर आदेश की समीक्षा हेतु समीक्षा याचिका/आवेदन के साथ लगने वाली फीस	रु० 1,00,000.00 (रु० एक लाख)
6	ऊर्जा क्रय और अधिप्राप्ति प्रक्रिया प्रपत्र के अनुमोदन हेतु आदेश की समीक्षा के लिये याचिका/आवेदन के साथ लगने वाली फीस	
(ए)	25 MW से अधिक क्षमता वाले परम्परागत ईंधन आधारित संयंत्र जिनमें हायडिल संयंत्र भी सम्मिलित है अथवा परम्परागत/नवीकरणीय ऊर्जा ट्रेडर या अन्य कोई अनुज्ञापी के माध्यम से क्रय।	रु० 1,00,000.00 (रु० एक लाख)
(बी)	2 MW से अधिक तथा 25 MW तक की संस्थापित क्षमता वाले नवीकरणीय उत्पादक स्रोत/सह-उत्पादन	रु० 25,000.00 (रु० पच्चीस हजार)
7	अन्यत्र सम्मिलित न हुए आयोग के किसी आदेश की समीक्षा या पुनर्विचार हेतु आवेदन	रु० 10,000.00 (रु० दस हजार)
पार्ट एफ - अन्य		
1	विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत टैरिफ अंगीकरण हेतु आवेदन	परम्परागत ईंधन आधारित विद्युत संयंत्र - रु० 2,000.00 प्रति MW जो कि न्यूनतम् रु० 10,000.00 (रु० दस हजार) तथा अधिकतम् रु० 2,00,000.00 (रु० दो लाख) गैर परम्परागत/नवीकरणीय उत्पादक संयंत्र- रु० 1,000.00 प्रति MW जो कि न्यूनतम् रु० 15,000.00 (रु० पन्द्रह हजार)
2	अंतरवर्ती आवेदन	रु० 10,000.00 (रु० दस हजार)
3	स्थगन/समय विस्तारण चाहने हेतु आवेदन	रु० 1,000.00 (रु० एक हजार)

फार्म-I

विवरण	
1. याचिकाकर्ता/आवेदक का नाम	
2. याचिकाकर्ता/आवेदक का पता	
3. विषय	
4. प्रेषित फीस का विवरण (ए) यूटीआर नम्बर (बी) प्रेषण की तिथि (सी) राशि प्रेषित	
तिथि के साथ अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर मय तिथि सहित	

आयोग के आदेश से,
नीरज सती,
सचिव।